प्रारंभिक संबोधन

माननीय सदस्यगण,

षोड्श बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र के शुभारंभ पर आप सभी माननीय सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ ।

वर्त्तमान सत्र के दौरान कुल इक्कीस बैठकें निर्धारित हैं जिसमें 2019-20 के आय-व्ययक के व्यवस्थापन एवं अन्य वित्तीय कार्यों के अलावा राजकीय विधेयक तथा गैर सरकारी संकल्प लिये जाएंगे ।

संसदीय प्रणाली में सरकार पर जनता का प्रभाव एवं नियंत्रण निरंतर बना रहता है एवं जनहित के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना ही इसकी विशेषता होती है । नीतियों के निर्माण में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार गठन एवं इसके द्वारा नीतियों के निर्माण के लिए जिम्मेवार होते हैं । बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाना तो एक क्रियाविधि है जो तब अपनाई जाती है जब मतभेद दूर करने के सभी उपाय असफल हो जाते हैं । वैसी परिस्थिति में बहुमत के निर्णय से ही कानून एवं नीतियों का निर्माण होता है । कानून ही सभ्य समाज की आधारशिला है एवं यह व्यक्तिपरक नहीं होता है । एक निश्चित अंतराल के पश्चात सरकार की कार्यशैली एवं विश्वसनीयता का परीक्षण चुनाव के माध्यम से होता है जिसमें जनता अपने निर्णय से भविष्य की दिशा तय करती है । इसलिए चुनाव की प्रक्रिया अपरिहार्य होती है और यह लोकतंत्र को समृद्ध और संवर्द्धित करती है ।

आपको विदित है कि वर्त्तमान सत्र अपेक्षाकृत लम्बा है । इसमें आप तमाम माननीय सदस्यों को बिहार की जनता के हित के मुद्दों के साथ अपने-अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं को भी उजागर कर उनके निराकरण की संभावनाओं पर विमर्श करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे । इस अवसर का सार्थक उपयोग कर जनता की समस्याओं कर निराकरण ही जनतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाएगा ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग निरंतर प्राप्त होगा ।